Copy if

सं०सं०—17 / विविध 01—244 / 2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक / अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
राज्य के सभी संबधित चिकित्सा संस्थान, बिहार।

पटना, दिनांक :— / /2026

विषय :— बंध—पत्र (बॉण्ड) से आच्छादित चिकित्सकों का योगदान लिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों द्वारा पदस्थापित संस्थान में निर्धारित समय के बाद योगदान देने एव अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बॉण्ड चिकित्सकों का योगदान लिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयो से पी0जी0 / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों द्वारा राज्य में बॉण्ड के तहत अनिवार्य सेवा प्रदान की जानी है। विभागीय सकल्प सख्या—450(1), दिनाक—15.04.2017 सह—पठित— शुद्धि पत्र सख्या—479(1), दिनांक—26.04.2017 द्वारा राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयो से पी0जी0 / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रो द्वारा राज्य मे तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे वर्त्तमान मे विभागीय अधिसूचना संख्या—1092(17), दिनाक— 04.10.2025 द्वारा बॉण्ड सेवा की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया गया है। साथ ही बॉण्ड अवधि में अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के समतुल्य अवधि के लिए बॉण्ड अवधि का विस्तार का अवसर अधिकतम दो बार प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है।

विभागीय परिपत्र सं0—1151(17), दिनाक—20.12.2024 द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बॉण्ड चिकित्सकों का योगदान लिये जाने के संबध में संबंधित चिकित्सकों द्वारा राज्य मे अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में योगदान शीघ्र लेने का स्पष्ट दिशा—निदेश निर्गत है, इसके बावजूद भी संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों का योगदान नहीं लिया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि बॉण्ड चिकित्सकों द्वारा ससमय पदस्थापित संस्थान में योगदान नहीं करने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले बॉण्ड चिकित्सको का योगदान उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में शीघ्र लेना सुनिश्चित करेगें एवं इसकी सूचना विभाग को देगें।

अनुलग्नक— **(क)** विभागीय सकल्प संख्या—450(1), दिनांक—15.04.2017
(ख) विभागीय शुद्धि—पत्र सख्या—479(1), दिनांक—26.04.2017
(ग) परिपत्र स0—1151(17), दिनांक—20.12.2024
(घ) अधिसूचना संख्या—1092(17), दिनाक—04.10.2025

विश्वासभाजन

ह०/—

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिका।

सं० सं०—17 / विविध—01—244 / 2025— 488(17) **पटना, दिनांक :—** 27/04/ **2026**

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर / प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 27/04/26

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(33)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– 15 / 04 / 2017

विषयः– राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी0जी0 छात्रों द्वारा कोर्स बीच मे छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयो में पी0जी0 कोर्स मे नामांकन लेने के पश्चात् कई छात्र अपना कौर्स बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उन विषयों की सीटे रिक्त रह जाती है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालयो मे विशेषज्ञ चिकित्सको की कमी भी बनी रहती है।

2– उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सा शिक्षा में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(i) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयो मे पी0जी0 में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध–पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उन्हे 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तथा इस अवधि मे छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

(ii) पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षो की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रुपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

3– एतद् विषयक बंध–पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही सबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। वर्त्तमान में जो नामांकित हैं, उनसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा बंध–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्राचार्य, बंध–पत्र सम्पादन के उपरान्त ही छात्रों के छात्रवृत्ति/मानदेय का भुगतान करेंगे। बंध–पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को एम0बी0बी0एस0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पी0जी0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि भी, तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की अभिरक्षा मे रखे जायेंगे। तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अथवा निर्धारित बंधेज राशि जमा करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा इन्हें वापस किया जायेगा।

4– यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.4.17

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक

(32)

ज्ञापांक-1/विविध-58/2015- 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-58/2015-450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-58/2015- 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-1/विविध-58/2015- 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपिः- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

(31)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि- पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प, ज्ञापाक--450(1) दिनाक--15.04.2017 की कंडिका--3 को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है--

"3-- यह व्यवस्था सत्र 2017--18 से लागू होगी। एतद् विषयक बंध--पत्र (Bond) नये छात्रो से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। बंध--पत्र (Bond) के साथ छात्रो से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को इससे संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।"

2-- संकल्प, ज्ञापाक--450(1) दिनाक--15.04.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3-- उक्त संकल्प की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

आदेशः-- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

26.4
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक--1/विविध--58/2015-- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-- 26/4/2017

प्रतिलिपिः-- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ सी0डी0 सहित प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग/को भेजने की कृपा करे।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक--1/विविध--58/2015-- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-- 26/4/2017

प्रतिलिपिः-- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक--1/विविध--58/2015-- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-- 26/4/2017

प्रतिलिपिः-- अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित विभाग, बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

(30)

ज्ञापांक–1/विविध–58/2015– 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/4/2017

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(18)

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा मे,

सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक,
सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान, बिहार।

पटना, दिनांक :– / /2024

विषय :– राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा लिये जाने के प्रावधानाधीन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों को पदस्थापित स्थल पर योगदान स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा (बॉण्ड) प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न अधिसूचनाओं/आदेशों के द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017–सह–पठित–शुद्धि पत्र संख्या–479(1) दिनांक–26.04.2017 राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा प्रदान किये जाने के संबंध मे निम्न प्रावधान करता है :–

"पी0जी उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षो की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रूपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।"

कालांतर में पाया गया है कि कई बॉण्ड चिकित्सक बिना विभागीय सहमति/नियंत्री पदाधिकारी को सूचित किये कार्यस्थल/पदस्थापन स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं। पुनः जब बॉण्ड चिकित्सको को उच्चतर अध्ययन या सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद आदि हेतु अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता होती है, तो वे योगदान हेतु विभाग में अभ्यावेदन समर्पित करते है। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि बॉण्ड चिकित्सको के अनुरोध के आलोक में उनका पुनः पदस्थापन किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी वे नव पदस्थापित स्थान पर या तो योगदान ही नहीं करते हैं या योगदान करके पुनः कार्यस्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं।

उक्त के आलोक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों द्वारा समय–समय पर विभाग मे योगदान हेतु अभ्यावेदन समर्पित किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभागीय पत्रांक–453(17), दिनांक–13.07.2022 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारियों को अपने स्तर से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों से पत्राचार करते हुए कर्त्तव्य स्थल पर योगदान करने हेतु निदेश देने का विभागीय निदेश दिया गया। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित की गयी है कि "सभी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सक अपने कर्त्तव्य स्थल पर तत्काल योगदान कर कार्य करना सुनिश्चित करे, अन्यथा योगदान नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी"। पुनः सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं अन्य के द्वारा अनधिकृत चिकित्सकों के योगदान के संबंध में याचित मार्गदर्शन के आलोक में विभागीय पत्रांक–196(17), दिनांक–24.02.2023 द्वारा चिकित्सकों के योगदान के निमित बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों का योगदान लेते हुए उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अतः उपर्युक्त के आलोक में पुनः निदेशित है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बॉण्ड चिकित्सकों के द्वारा राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा पूर्ण करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में योगदान शीघ्र लेना सुनिश्चित करेगें एवं इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेगें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/विविध–01–217/2023 — 1151(17) पटना, दिनांक :– 20/12/2024

प्रतिलिपि:– सभी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बॉण्ड चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित है कि पदस्थापित चिकित्सा संस्थान में शीघ्र योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2025

संचिका संख्या 17/विविध 1-200/2024- /स्वा०, विभागीय संकल्प संख्या 450(1) दिनांक 15.04.2017 सह-पठित शुद्धि पत्र संख्या-479(1) दिनांक-26.04.2017 द्वारा बिहार राज्य मे विशेषज्ञ चिकित्सको की कमी को दूर करने हेतु राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयो से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों के द्वारा तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा राज्य सरकार के अधीन प्रदान करने हेतु बंध पत्र हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू है।

2- राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों पर उक्त संकल्प द्वारा लागू प्रावधान में निम्नवत सशोधन किया जाता है :-

(i) पी०जी० बॉण्ड की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया जाता है।

(ii) अनिवार्य बंध सेवा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित चिकित्सक के द्वारा उनके सेवा अवधि मे किए गए कार्य के एवज में भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी, परन्तु शेष राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।

(iii) बॉण्ड अवधि मे अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के समतुल्य अवधि के लिए बॉण्ड अवधि का विस्तार का अवसर अधिकतम दो बार प्रदान किया जाएगा। बॉण्ड अवधि की गणना विभाग में योगदान की तिथि से की जाएगी।

(iv) पी०जी० बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों को बिहार सरकार द्वारा सचालित/वित्त पोषित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(v) बिहार सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों मे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर अवधि को भी पी० जी० बॉण्ड अवधि से आच्छादित माना जाएगा और इसके लिए आवश्यकतानुसार विभागीय अनुमति प्रदान की जाएगी।

(vi) बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा-AIIMS, IGIMS, PGI एव अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा सस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अतिआवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान की जा सकेगी, कि टेन्योर अवधि पूर्ण होने के उपरान्त संबधित चिकित्सक बिहार राज्य के अन्तर्गत बॉण्ड आधारित सेवा पूरी करेंगे, परन्तु इस मामले में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा कोई दावा नही किया जा सकेगा।

(vii) पी० जी० बॉण्ड से आच्छादित डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को डी०एन०बी० या पी०जी० करने हेतु अध्ययन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

1092 (17)
04.10.2025

4

(viii)राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण महिला चिकित्सकों के मातृत्व अवकाश अवधि को भी निर्धारित बॉण्ड अवधि में ही शामिल माना जाएगा।

3 उक्त संशोधित प्रावधान अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

4. उक्त में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा–17) को भी उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(यशपाल मीणा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध1–200/2024 1092(17)स्वा०/, पटना दिनांक–04/10/2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मत्रिपरिषद् की दिनाक–03.10.2025 की बैठक के मद संख्या–41 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 07, 09 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

4/10/2025
सरकार के अपर सचिव।

D/R/Sunxa'p